न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व वाद संख्या :– 74/2015 **दायर तारीख :–** 14-07-2015

1. मीरा पत्नि कल्याणसहाय
2. भीम
3. लालू
4. पुष्पेन्द्र

} पुत्रान कल्याणसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता खुद मीरा पत्नि कल्याणसहाय

समस्त जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी रावल का चौराहा तेलीपाडा शिवजी के मंदिर के पास शास्त्री नगर, जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरू जाति राणा निवासी जवानपुरा हाल आबाद प्लाट नंबर ए–33 शालीमार बाग भूरा पटेल नगर वैशालीनगर, जयपुर।
2. हनुमान पुत्र भैरू जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. गैन्दी देवी पत्नि धानाराम जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. गणपत पुत्र भगवानसहाय
5. हरिनारायण } पुत्रान मंगलाराम
6. प्रकाशचंद }
7. मंगलाराम } पुत्रान भगवानसहाय
8. सरदारमल }

} समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
11. पटवारी, पटवार हल्का जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
12. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉर्मस शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. यू.को बैंक शाखा शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
14. दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर तहसील विराटनगर।

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित : श्री मामराज सैनी, अधिवक्ता वादीगण
श्री आनंद सिंह शेखावत, प्रतिवादी संख्या 1 व 2
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 13
पैरोकार सरकार

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

निर्णय दिनांक : 27.01.2021

1. वादीगण ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 1920/1.40, 1921/1.15, 1922/0.26, 1923/1.04, 1942/1.61 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2068–2071 है। यह है कि उक्त आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/54 अर्थात 0.0962 हैक्टेयर है एवं प्रतिवादी सख्या 1 गोपाल का हिस्सा 109/624 अर्थात 0.9083 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान का हिस्सा 109/624 अर्थात 0. 9083 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 3 गैन्दी देवी का हिस्सा 67/936 अर्थात 0. 3722 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 4 गणपत का हिस्सा 15/208 अर्थात 0.3750 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हरिनारायण व प्रकाश चंद का हिस्सा 4/13 अर्थात 1.60 हैक्टेयर, प्रतिवादी संख्या 7 मंगलाराम का हिस्सा 67/936 अर्थात 0.3722 हैक्टेयर , प्रतिवादी संख्या 8 सरदारमल का हिस्सा 15/208 अर्थात 0. 3750 हैक्टेयर है। इसके अलावा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा भागीरथ पुत्र भंवरसिंह का हिस्सा 1/54 व पुष्पा पुत्री भंवरसिंह का हिस्सा 1/54 खरीद करने से उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/27 अर्थात 0. 1925 हैक्टेयर भूमि और है। यह है कि आराजी मुतनाजा वादीगण की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि रही है, जो वादिया संख्या 1 को अपनी सास एव वादी संख्या 2 लगायत 4 को अपनी दादी दुलारी बेवा भंवरसिंह के फौत हो जाने पर विरासत मे मिली है। वादीगण के पति/पिता कल्याणसहाय पुत्र भंवरसिंह का पूर्व में दुलारी बेवा भंवरसिंह के जीवनकला में ही देहान्त हो गया था, इस कारण विरासत का नामान्तकरण वादीगण के नाम से खातेदारी मे रिकॉर्ड हुआ था, जिसका नोट जमाबंदी संवत् 2067 वाके ग्राम जवानपुरा तहसील विराटनगर में नामान्तकरण संख्या 489 दिनांक 22.06.2010 के द्वारा दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि दुलारी बेवा भंवरसिंह के वादीगण के अलावा दो वारिस भागीरथ पुत्र भवंरसिंह व पुष्पा पुत्री भंवर सिंह और रहे है। उक्त आराजी में दुलारी बेवा भंवरसिंह का हिस्सा 1/18 रहा है। दुलारी बेवा भवंरसिंह के कल्याणसहाय व भागीरथ दो पुत्र एवं पुष्पा पुत्री वारिसान है। इस प्रकार उक्त आराजी में दुलारी बेवा भंवरसिंह के 1/18 हिस्से में से तीन हिस्से होने पर 1/54 वादीगण का, 1/54 हिस्सा भागीरथ का, 1/54 हिस्सा पुष्पा का हुआ। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य तथा उक्त आराजी के पूर्व खातेदार के मध्य वाद ग्रस्त आराजी का कभी कोई कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि आपसी सहमति एवं मनबट से ही भूमि को बांटकर अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते व भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। यह है कि वादिया के पति की मृत्यु हो जाने तथा बच्चे छोटे–छोटे होने व वादिया के जयपुर में नौकरी करने व निवास करने के कारण अपने हिस्से की उक्त आराजी को अपने परिवार के ही प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बांटे पर बता रखी है तथा समय–समय पर जवानपुरा आकर अपनी कृर्षि उपज का हिसाब करती रही है। यह है कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादिया के देवर भागीरथ व ननद पुष्पा का हिस्सा

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

खरीदने के बाद वादिया के विधवा होने व बच्चो के छोटे होने का नाजायज फायदा उठाकर वादिया के हिस्से की भूमि को जबरन हडन करने की गरज से दावा दायरी के कुछ दिन पहले जबरन से भूमि की सीमा को काटकर अपनी कृषि भूमि से मिला लिया है। यह है कि इस प्रकार प्रतिवादीगण अपने उक्त मनसूबों मे कामयाब हो गये एवं अपनी भूमि के साथ–साथ वादिया की भूमि का कब्जा किसी दीगर बाजौर ताकतवर व्यक्ति को करा देगें व वादिया का उसके हिस्से की भूमि से जबरन काश्त करते में महरूम कर देगें तो इससे वादिया को अकथनीय हानि होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार के धन के रूप में नहीं होगी। आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। अतः निवेदन है कि ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 1920/1.40, 1921/1.15, 1922/0.26, 1923/1.04, 1942/1.61 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से मे आने वाली भूमि का अलग से नंबर कायम किया जाकर उस पर वादीगण का कब्जा कराया जावे व भूमि का लगान भी बांट दिया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित, जवाब दावा पेश किया गया। शेष प्रतिवादीगण सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. वादीगण ने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 26 संवत् 2068–2071, नकल जमाबन्दी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 190 संवत् 2060–2063, नकल जमाबन्दी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 197 संवत् 2064–2067 आदि पेश किए गये।

4. प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब दावा में कथन रहे कि वाद ग्रस्त आराजी पर मौके पर सभी सहखातेदार पहले से चले आ रहे बाहमी बंटवारे के हिसाब से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। बाहमी बंटवारे के हिसाब से वादिया का खातेदारी भूमि का हिस्सा मौके पर प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की भूमि 1920 व 1921 के उत्तर की तरफ व मौके पर उक्त दोनो खसरा नंबरों के मध्य के बतरफ पूर्व पश्चिम लंबाई में है। यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 एक ही बुजुर्ग भैरू जी के वारिस है। सजरा खानदान के अनुसार वाद ग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1920/1.40, 1921/1.15, 1922/0.26, 1923/1.04, 1942/1.61 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर भूमि ग्राम जवानपुरा में भंवर, हनुमान, गोपाल पुत्र भैरू का हिस्सा 1/2 एवं हिस्सा 1/2 लक्ष्मण पुत्र गंगाराम के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के बुजुर्ग भैरू का 1/2 हिस्सा कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर मे से आधा यानी 2.60 हैक्टेयर बनता है, जिसमें से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 यानी कुल रकबे का हिस्सा 1/3 बनता है एवं हिस्सा 1/6 भंवर का बनता था,

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

जिसके मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1.73 हैक्टेयर बनता है एवं भंवर का हिस्सा 0.87 हैक्टेयर बनता है। यह है कि भंवर के फौत होने से भंवर का 0.87 हैक्टेयर भूमि उनके वारिसान उनकी पत्नि दुलारी देवी, कल्याण व भागीरथ के नाम दर्ज रिकॉर्ड हुई जिसमें कल्याण व भागीरथ ने अपना हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/6 यानी 1/9 हिस्सा 0.58 हैक्टेयर भूमि मंगला व गैंदी को बेचान कर दिया, शेष दुलारी देवी का 1/18 हिस्सा मे 0.29 हैक्टेयर भूमि बची जो दुलारी देवी के फौत होने से वारिसान कल्याण, पुष्पा व भागीरथ के नाम दर्ज हुई, जिसमें से भागीरथ व पुष्पा ने अपना 1/54–1/54 कुल 1/27 हिस्सा 0.19 हैक्टेयर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेचान कर दी, शेष 1/54 हिस्सा 0.10 हैक्टेयर भूमि कल्याण के वारिसान वादीगण का बनता है। यह है कि 1/4 की हिस्सेदार सुगना देवी बेवा कन्हैयालाल ने अपने हिस्से की 1.30 हैक्टेयर भूमि मे से 10/13 हिस्सा जिसका रकबा 1.00 हैक्टेयर होता है का बेचान सरदारमल, गणपत लाल पिता भगवान सहाय को कर दिया था। सरदारमल, गणपतलाल पिता भगवान सहाय ने अपनी उक्त खरीदशुदा भूमि 4 बीघा यानि 1.00 हैक्टेयर में से 0.25 हैक्टेयर भूमि यानी 5/25 हिस्सा दर हिस्सा 10/13 में से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 गोपाल, हनुमान पिता भैरू व कल्याण पुत्र भंवरसिंह को बेचान किया था, जिसका नोट नामान्तकरण सख्या 242 दिनांक 26.05.2000 जमाबंदी संवत् 2056–2059 मे दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खरीद शुदा भूमि में 0.17 हैक्टेयर भूमि आती है। इस प्रकार प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की कुल भूमि 1.73 हैक्टेयर पैतृक एवं 0.17 हैक्टेयर सरदारमल, गणपत से एवं 0.19 हैक्टेयर भूमि भागीरथ, पुष्पा से खरीद शुदा कुल 2.09 हैक्टेयर भूमि बनती है, जिसके हिसाब से हिस्सेदारी दुरूस्त की जाकर बंटवारा किया जाना आवश्यक है। यह है कि मौके पर पूर्व खातेदारों के समय से हुए बाहमी बंटवारे के हिसाब से प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 मौके पर हाल खसरा नंबर 1923/1.04 हैक्टेयर, 1922/0.26 हैक्टेयर सम्पूर्ण रकबा एवं खसरा नंबर 1920 व 1921 का दक्षिण हिस्सा कुल मिलाकर 2.09 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे है। हाल खसरा नंबर 1923 में प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बोरिंग भी बना रखी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 हनुमान का पुख्ता मकान भी बना हुआ है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 को मौके एवं कब्जे काश्त के हिसाब से बंटवारा कराने में कोई आपत्ती नहीं है। अतः जवाब मय काउन्टर क्लेम मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद प्रतिवादीगण के द्वारा पेश जवाब दावे के मुताबिक दुरूस्त किया जाकर मौके एवं कब्जे काश्त के अनुसार डिक्री किया जाकर लगान का विभाजन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कराये जाने की कृपा करें।

5. अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से अपने समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम जवानपुरा, नकल जमाबंदी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 91 संवत् 2056–2059, नकल जमाबंदी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 190 संवत् 2060–2063, नकल जमाबंदी ग्राम जवानपुरा खाता संख्या 197 संवत् 2064–2067 आदि पेश किए है।
6. पत्रावली दिनांक 19.05.2016 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जवानपुरा मे पेश हुई। समस्त तथ्यों पर मनन किया गया। चूंकि दावा बंटवारा आराजीयात का

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

है। तहसीलदार विराटनगर से कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवाना न्यायोचित मानते हुए तहसीलदार विराटनगर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

7. तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

8. तहसीलदार विराटनगर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट पर प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट पेश किया गया।

9. तारीख पेशी 13.11.2019 को बहस उज्रत सुनी गई। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से प्रस्तुत उजरात कुर्रेजात रिपोर्ट प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की तरफ से प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार कर, तहसीलदार विराटनगर को काउन्टर क्लेम के अनुसार हिस्से दुरूस्त कर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई।

10. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष एवं पैरोकार सरकार सुनी गई।

11. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 1920/1.14, 1921/1.15, 1922/0.26, 1923/1.04, 1942/1.61 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। यह है कि वादीगण एवं प्रतिवादी गण बाहमी बंटवारे के हिसाब से अच्छी में अच्छी व बुरी में बुरी के हिसाब से भूमि का विभाजन करके अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे है। परन्तु आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है। जिससे शामिल खाते में काश्त करना संभव नहीं रहा है। वकील उभय पक्ष के निवेदन पर बहस बाद मनन कर प्रकरण प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार विराटनगर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने की तहरीर जारी की गई। तहसीलदार विराटनगर का बंटवारा प्रस्ताव को प्राप्त हुआ है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्व मण्डल नियम 18 से 21 अनुरूप दोनो पक्षों की उपस्थिति में रास्ता का प्रावधान रखते हुए बनाया गया है। उपस्थित अधिवक्ता एवं पक्षकार को बंटवारा प्रस्ताव पढकर समझाया गया जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। अतः दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट डिक्री किया जाना न्यायसंगत है।

12. वादीगण ने अपने वादपत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः वादीगण का वादपत्र डिक्री किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

आदेश

वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	हरिनारायण पुत्र मंगलाराम जाट हिस्सा 1/2, प्रकाश चंद पुत्र मंगलाराम जाट हिस्सा 1/2	1942/1.6100 हैक्टेयर
2	हनुमान सिंह पुत्र भैरू सिंह राणा राहिन	1921/0.4645 1922/0.1400 1923/0.4400 हैक्टेयर
3	गोपाल सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राणा	1920/0.3245 1922/0.1200 1923/0.6000 हैक्टैयर
4	मीरा पत्नि कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 नाबालिग भीम, लालू, पुष्पेन्द्र पिता कल्याण सहाय सरपरस्त माता मीरा देवी हिस्सा 3/4 जाति राणा	1921/0.0960 हैक्टेयर
5	सरदारमल पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3750/14050,मंगलाराम पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3274/14050, गणपतराम पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3750/14050, गैन्दी देवी पत्नि धानाराम जाट हिस्सा 3276/14050	1920/0.8155 1921/0.5895 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर) सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम विराटनगर

बइजलास :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस.

1. मीरा पत्नि कल्याणसहाय
2. भीम
3. लालू — पुत्रान कल्याणसहाय नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता खुद मीरा पत्नि कल्याणसहाय
4. पुष्पेन्द्र

समस्त जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर हाल निवासी रावल का चौराहा तेलीपाडा शिवजी के मंदिर के पास शास्त्री नगर, जयपुर।

— वादीगण

बनाम

1. गोपाल पुत्र भैरू जाति राणा निवासी जवानपुरा हाल आबाद प्लाट नंबर ए–33 शालीमार बाग भूरा पटेल नगर वैशालीनगर, जयपुर।
2. हनुमान पुत्र भैरू जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
3. गैन्दी देवी पत्नि धानाराम जाति राणा निवासी जवानपुरा तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. गणपत पुत्र भगवानसहाय
5. हरिनारायण — पुत्रान मंगलाराम
6. प्रकाशचंद — पुत्रान मंगलाराम
7. मंगलाराम — पुत्रान भगवानसहाय
8. सरदारमल — पुत्रान भगवानसहाय

समस्त जाति जाट निवासी जाजैकलां तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
10. उपपंजीयक, उपपंजीयक कार्यालय विराटनगर जिला जयपुर राज0।
11. पटवारी, पटवार हल्का जवानपुरा तहसील विराटनगर जिला जयपुर।
12. ओरियन्टल बैंक आफॅ कार्मस शाखा शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
13. यू.को बैंक शाखा शाहपुरा, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर।
14. दी जयपुर सैन्ट्रल कॉ ऑपरेटिव बैंक लि. शाखा विराटनगर तहसील विराटनगर।

— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 74/2015 **दावा बाबत भूमि बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री मातादीन सैनी, अधिवक्ता वादीगण** व हाजरी .....मिन जानिब मुद्दई रूबरू **श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया है कि ग्राम जवानपुरा के खसरा नम्बर 1920/1.40, 1921/1.15, 1922/0.26, 1923/1.04, 1942/1.61 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 हैक्टेयर का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 के मध्य कानूनी बंटवारा किया जाकर वादीगण के हिस्से मे आने वाली भूमि का अलग से नंबर कायम किया जाकर उस पर वादीगण का कब्जा कराया जावे व भूमि का लगान भी बांट दिया जावे। साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

पाबन्द किया जावे वादीगण को बंटवारे में प्राप्त आराजी में किसी प्रकार की दखल या मजामहत पैदा नहीं करें।

सुना गया अधिनियम के प्रावधानो एवं राजस्व मण्डल के नियम 18 से 22 के अनुरूप बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त किया गया। बंटवारा प्रस्ताव अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर उभय पक्षकार सहमत है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीगण का वादपत्र मुताबिक पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव डिक्री किया जाता है। कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस निर्णय एवं डिक्री का भाग रहेगा। पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार राजस्व रिकार्ड अनुसार तकास्मा कर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	हरिनारायण पुत्र मंगलाराम जाट हिस्सा 1/2, प्रकाश चंद पुत्र मंगलाराम जाट हिस्सा 1/2	1942/1.6100 हैक्टेयर
2	हनुमान सिंह पुत्र भैरू सिंह राणा राहिन	1921/0.4645, 1922/0.1400, 1923/0.4400 हैक्टेयर
3	गोपाल सिंह पुत्र भैरूसिंह जाति राणा	1920/0.3245 1922/0.1200 1923/0.6000 हैक्टैयर
4	मीरा पत्नि कल्याण सहाय हिस्सा 1/4 नाबालिग भीम, लालू, पुष्पेन्द्र पिता कल्याण सहाय सरपरस्त माता मीरा देवी हिस्सा 3/4 जाति राणा	1921/0.0960 हैक्टेयर
5	सरदारमल पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3750/14050, मंगलाराम पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3274/14050, गणपतराम पुत्र भगवान सहाय जाट हिस्सा 3750/14050, गैन्दी देवी पत्नि धानाराम जाट हिस्सा 3276/14050	1920/0.8155 1921/0.5895 हैक्टेयर

तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व रिकार्ड में आवश्यक अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। यदि किसी प्रकार का बैंक रहन हो, तो पक्षकार को प्राप्त होने वाले खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। उभय पक्ष को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे में प्राप्त एक–दूसरे के खसरा नम्बर/रकबा के उपयोग–उपभोग शान्तिपूर्वक करे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय दिनांक 27.01.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

मुबलिक .....शून्य..... बाबत .....शून्य..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत .....शून्य..... की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक .....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 27.01.2021** को जारी की गई।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प बजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर